फर्द अहकाम

बाबू खां बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 178/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.02.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कृषि आराजी भूमि खाता संख्या नया 640 पुराना 586 में वर्णित खसरा नम्बर 2140 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2146 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0.44 हैक्टयर, वाके ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू.अ.नि.क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो कि मूल नक्शे मे सही है लेकिन ऑनलाईन नक्शे मे खसरा नम्बर 2148 के स्थान पर 2149 दर्ज कर एक अन्य खसरा नम्बर 2146 को खसरा नम्बर 2148 में ही दिया गया है तथा खसरा नम्बर 2146 के स्थान पर 2145 दर्ज कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बरान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे सही इन्द्राज है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश उक्त खसराओ के राजस्व नक्शे मे आन लाईन नक्शे मे खसरा नम्बर 2148 के स्थान पर 2149 दर्ज कर एक अन्य खसरा नम्बर 2146 को खसरा नम्बर 2148 में ही दिया गया है तथा खसरा नम्बर 2146 के स्थान पर 2145 दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से की गयी है। जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि वाके ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू.अ.नि.क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि आराजी भूमि खाता संख्या नया 640 पुराना 586 में वर्णित खसरा नम्बर 2140 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2146 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0.44 हैक्टयर मूल नक्शे मे सही है लेकिन ऑनलाईन नक्शे मे खसरा नम्बर 2148 के स्थान पर 2149 दर्ज कर एक अन्य खसरा नम्बर 2146 को खसरा नम्बर 2148 में ही दिया गया है तथा खसरा नम्बर 2146 के स्थान पर 2145 दर्ज कर दिया गया जिसे दूरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तूत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। ....लगातार उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

बाबू खां बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: /2025

	21.02.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा दूरूस्ती किये जाने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू.अ.नि. क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि आराजी भूमि खाता संख्या नया 640 पुराना 586 में वर्णित खसरा नम्बर 2140 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2146 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2148 रकबा 0.44 हैक्टयर में सेगरिगेशन की हुई गलती को दूरूस्त कर सेगरिगेशन से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते है। यदि कोई अन्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तन न हुआ हो तो। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)